

वकील के बहकाने पर बेटों ने की थी पूर्व प्रधान और पत्नी की हत्या

इकौना पुलिस की टीम ने दंपती की हत्या का किया राजफाश

जास • श्रावस्ती: खांवा पोखर गांव में वृद्ध पूर्व प्रधान व उनकी पत्नी की हत्या सगे व सौतेले बेटों ने खांस के डंडे से गला दबाकर की थी। गुरुवार को पुलिस ने इसका राजफाश किया। पृष्ठताछ में हत्यारोपित बेटों ने अधिवक्ता के बहकाने पर माता-पिता की हत्या करना स्वीकार किया। पुलिस ने गुरुवार को चारों आरोपितों को खांवापोखर मौड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया। घटना में प्रयुक्त डंडा भी बरामद हुआ है।

एसपी राहुल भाटी ने गुरुवार को पुलिस कार्यालय में हत्या के संबंध में बताया कि वसीला रोशन खां की दूसरी पत्नी थीं। पहली पत्नी से नसीब व हसीब दो बेटे हैं। वसीला के पहले पति इश्हाक खां से सेमगढ़ा के चिणीपुरवा निवासी मुसीब बड़ा पुत्र है। अधिवक्ता प्रभाकर ने साजिश के तहत इकौना कस्बे में स्थित रोशन की तीन दुकानें वसीला को दान करवाई और उसी दिन दुकानों की अपने नाम रजिस्ट्री करा ली।

रजिस्ट्री में 10 लाख रुपये का चेक देना लिखा गया था। यह चेक मृतका ने बैंक खाते में इसलिए नहीं लगाया, क्योंकि वकील ने दुकानें सस्ते दाम पर रजिस्ट्री करा ली थी। किसी माध्यम से वकील खाते में रुपये न भेज पाए, इसलिए अपना बैंक खाता होल्ड कर दिया था। वैनामा खारिज करने का वाद दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है। वकील पर खेखाबड़ी का मामला दर्ज कराने के लिए वसीला ने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भी दिया था। वकील ने इनमें से एक

• खांवापोखर गांव में हुई थी घटना
हत्या में प्रयुक्त डंडा बरामद

• गिरफ्तार किए गए सगे व सौतेले
हत्यारे बेटे तथा वकील



पुलिस कार्यालय में हत्या के संबंध में जानकारी देते एसपी राहुल भाटी (आगे बाएं), मौजूद एसपी मुकेश चंद्र उतम व पीछे खड़े गिरफ्तार आरोपित • जागरण

हत्यारे बेटों की होती रही चर्चा

बचपन में अंगुली पकड़ कर चलना सिखाने वाले माता-पिता की बेरहमी से हत्या करने वाले बेटों की चर्चा क्षेत्र में पूरे दिन होती रही। लोगों का कहना था कि जिन बेटों को पालपोस कर बड़ा किया, उन्होंने संपत्ति की लालच में माता-पिता की जान ले ली। यह घटना समाज को झकझोर रही है।

दुकान 70-80 लाख रुपये में किसी को रजिस्ट्री की है। मुकदमे में फंसने से बचने के लिए वकील ने बेटों को लालच देकर अपने साथ मिला लिया। 22 नवंबर की रात वृद्ध दंपती की हत्या हो गई। 23 नवंबर को सुबह पूर्व प्रधान रोशन खां का शव मकान के बरामदे में व वसीला का शव बाहर झाड़ी में मिला था। इकौना थाने में

मुकदमा दर्ज हुआ था।

विवेचना के दौरान तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर खांवा पोखर निवासी मृतक रोशन के पुत्र नसीब, हसीब खान उर्फ गुड्डू, चिणीपुरवा निवासी वसीला के पुत्र मुसीब व मझौवा सुमाल के पतेदा निवासी अधिवक्ता प्रभाकर त्रिपाठी उर्फ रिंकू त्रिपाठी का नाम प्रकाश में आया।